न्यायालय विशेष न्यायालय (उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986)/अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–4, अलीगढ़।

पीठासीन अधिकारी–पारूल अत्री (उच्चतर न्यायिक सेवा)

(J.O. Code No.–UP6442)

प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1008/2026

CNR-UPAL010022082026

धर्मवीर यादव पुत्र श्री चंद्रमा सिंह यादव, निवासी मुढही मुर्ढी, थाना सासाराम, जनपद रोहताश, बिहार। हाल पता–तिलमता मिथिला बिहार कालोनी, थाना सूरजपुर नोएडा।

.....अभियुक्त/आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **.....अभियोजन पक्ष**

मुकदमा अपराध संख्या–11/2026,
धारा 2/3 उ0 प्र0 गैंगेस्टर एक्ट 1986
थाना–टप्पल, जिला अलीगढ़

06–03–2026 **जमानत आदेश**

आवेदक/अभियुक्त **धर्मवीर यादव** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन संख्या–1008/2026 मुकदमा अपराध संख्या–03/2026 अन्तर्गत धारा–2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना टप्पल,, जिला अलीगढ़ में जमानत हेतु संक्षिप्त रूप से इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वह निर्दोष है तथा उसे झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्त पर गैंगचार्ट में दर्शाये गये सभी मुकदमें मनगढन्त तथ्यों पर आधारित हैं। अभियुक्त ने कोई भी धोखाधड़ी कर अवैध रूप से भौतिक लाभ प्राप्त नहीं किया है, न ही आतंक का माहौल व्याप्त किया है और न ही वह किसी गैंग का सदस्य है। अभियुक्त ने स्वयं के धन से किसानों से कई बीघा कृषि भूमि क्रय की है तथा इसकी सत्यता के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 462/2025, मु0अ0सं0 464/2025 व मु0अ0सं0 465/2025 के विवेचक ने विवेचना के दौरान स्वयं यह पाया है कि अभियुक्त ने किसानों से जमीन क्रय की है। गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमों में उसकी जमानत स्वीकार हो चुकी है। वह दिनांक 08–01–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। उसकी ओर से कोई जमानत प्रार्थना पत्र इस प्रकरण में न तो माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया है, न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। जिसके आधार पर जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गई। प्रार्थना पत्र के साथ अभियुक्त के पैरोकार का शपथ पत्र संलग्न किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का एक संगठित गिरोह है, जिसका गैंग लीडर स्वयं अभियुक्त धर्मवीर यादव है। गैंग चार्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त मुकदमा अपराध संख्या–462/2025 धारा 318(4)/351(2) बी0एन0एस0, मुकदमा अपराध संख्या–464/2025 धारा 318(4) बी0एन0एस0 व मुकदमा अपराध संख्या–465/2025 धारा 318(4) बी0एन0एस0 का अभियुक्त है। अभियुक्त के द्वारा अपने गैंग के अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ संगठित गिरोह के भौतिक एवं आर्थिक रूप से धनोपार्जन के लिये अवैध रूप से अलीगढ़ व सीमावर्ती जनपद के लोगों को फर्जी तरीके से कम्पनी के नाम पर प्लाट दिखा करके एग्रीमेन्ट का लोगों से पैसा लेकर उन्हें जमीन/प्लाट न देकर उनका पैसा बेइमानी पूर्वक ले लेना व प्लाट का बैनामा न करना और बुकिंग के पैसे न लौटाना तथा पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी देने जैसे जघन्य अपराध कारित किये जाते हैं। जिसका जनता में भय व आतंक व्याप्त है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तारपूर्वक बहस करते हुए अभियुक्त को निर्दोष होने, गैंगचार्ट में उल्लिखित मुकदमों को झूंठा पंजीकृत होने तथा अभियुक्त को किसी गैंग का सदस्य या लीडर न होने एवं गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमों में अभियुक्त की जमानत स्वीकृत होने का कथन करते हुए जमानत प्रदान करने की याचना की गई है।

जबकि विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त शातिर अपराधी है। अभियुक्त गैंग का लीडर है। उसके द्वारा अपने गैंग के अन्य सह अभियुक्तगण के साथ संगठित गिरोह के भौतिक एवं आर्थिक रूप से धनोपार्जन के लिये अवैध रूप से अलीगढ़ व सीमावर्ती जनपद के लोगों को फर्जी तरीके से कम्पनी के नाम पर प्लाट दिखा करके एग्रीमेन्ट का लोगों से पैसा लेकर उन्हें जमीन/प्लाट न देकर उनका पैसा बेइमानी पूर्वक ले लेना व प्लाट का बैनामा न करना और बुकिंग के पैसे न लौटाना तथा पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी देने जैसे जघन्य अपराध कारित किये जाते हैं। सहअभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

प्रकरण से सम्बन्धित केस डायरी व अन्य संलग्न प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध हैं। अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्तों के साथ गैंग बनाकर लोगों को फर्जी तरीके से कम्पनी के नाम पर प्लाट दिखा करके एग्रीमेन्ट का लोगों से पैसा लेकर उन्हें जमीन/प्लाट न देकर उनका पैसा बेइमानी पूर्वक ले लेना व तथा पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी दिये जाने के आरोप के आधार पर यह गैंगेस्टर वाद संचालित हो रहा है। गैंगचार्ट के अनुसार अभियुक्त पर मुकदमा अपराध संख्या–462/2025 धारा 318(4)/351(2) बी0एन0एस0, मुकदमा अपराध संख्या–464/2025 धारा 318(4) बी0एन0एस0, व मुकदमा अपराध संख्या–465/2025 धारा 318(4) बी0एन0एस0 के अभियोग पंजीकृत हैं।

अभियुक्त धर्मवीर यादव गिरोह का लीडर है। प्रकरण में विवेचना अभी प्रचलित है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने से मामले के साक्षीगण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जाने एवं अभियुक्त द्वारा पुनः इसी प्रकार के अपराधों में संलिप्त हो जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। सहअभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। ऐसे में गैंगचार्ट में वर्णित मुकदमें में जमानत स्वीकार होने मात्र से अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं पाया जाता है।

अतः अपराध की प्रकृति व गंभीरता तथा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 19 (4) (ख) में निहित विधिक प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है तथा जमानत आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **धर्मवीर यादव** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन संख्या–1008/2026 मुकदमा अपराध संख्या–11/2026 अन्तर्गत धारा–2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना टप्पल, जिला अलीगढ़ **निरस्त** किया जाता है।

दिनांकः 06–03–2026

(पारूल अत्री)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–04, अलीगढ़

स्टेनो–बिपुल कुमार श्रीवास्तव

Digitally signed by PARUL ATTRI
Date: 2026.03.06 14:40:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court